# उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं0–31/2017–18

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी0एस0सिटी कॉलेज ब्रांच, बोकारो

बनाम्

**M/S Laxmi Vishwanath Enterprises & Oths.**

–: आदेश :–

15.09.2018

प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी0एस0सिटी कॉलेज ब्रांच, सेक्टर–6, बी0एस0सिटी, बोकारो द्वारा धारा 14 (**1 and 2**) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत M/S Laxmi Vishwanath Enterprises & Oths. प्रो0 श्री पंकज कुमार त्रिपाठी (ऋणकर्ता) सा0–कॉपरेटिव कॉलोनी प्लॉट सं0–181, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो एवं गारंटर 2. श्री अंजन कुमार चट्टोपाध्याय पिता स्व0 रोहिनी कान्त चट्टोपाध्याय 3. श्री सागर चट्टोपाध्याय पिता स्व0 श्यामपदो चट्टोपाध्याय 4. श्री अनल चट्टोपाध्याय सभी सा0–भगवती कॉलोनी, जोधाडीह मोड़, चास, बोकारो के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप न्यायालय में उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एवं सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षो को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी0एस0सिटी कॉलेज ब्रांच, बी0एस0सिटी, बोकारो की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (मौजा चास थाना सं0–30 खाता सं0–107, 108 प्लॉट सं0–5289, 5290 रकवा–50.44 डी0 एवं खाता सं0–376, प्लॉट सं0–2436 रकवा–15 डी0) को गिरवी रखते हुए 20,00,000/(बीस लाख) रूपये का बैंक से ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्त्ता का खाता दिनांक–31.12.2010 को ही एन0पी0ए0 हो गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT–2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजुद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया। अतः उन्होंने SARFAESI ACT–2002 की धारा 14 (1 and 2) के तहत

विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल–कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भगं नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की माँग की गई है।

द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष नोटिस प्राप्त करने के बाद भी अनुपस्थित रहे हैं। स्पष्ट है कि विपक्षी को इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है और न ही उन्हें अपने बचाव में कुछ भी कहना है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT–2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी0एस0सिटी कॉलेज ब्रांच, सेक्टर–6, बी0एस0सिटी, बोकारो के अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि–व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें ।

लेखापित एवं संशोधित।

15.09.17

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.27 17:31:03 +05:30
Location: 192.168.1.101